

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ. 1 (71)/एम.ई/ग्रुप-1/1990

जयपुर, दिनांक: 19/7/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को **सहायक आचार्य, शिशु औषध** के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू0 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी / रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। निम्नांकित चिकित्सक पूर्व से नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत हैं। अतः इनके वेतन भत्ते वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय होंगे।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० धनराज बागड़ी पुत्र श्री सरदार सिंह मीणा, C/O श्री महावीर प्रसाद मीणा, 181, दीप विहार कॉलोनी, पॉव्यावाला, सिरसी रोड़, जयपुर राज० 302012	एम-28 A	28.08.1979	ST	एस०एम०एस०, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
2.	डॉ० निशान्त डॉंगी पुत्र श्री देवी लाल डॉंगी, पता-18, न्याय मार्ग, व्हाइट हाऊस, कलक्टर बंगले के सामने, उदयपुर(राज०) 313001	एम-33 A	16.07.1977	BC	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति इस शर्त के अनुसार जारी किये जाते हैं :-

"These appointments are subject to the decisions of SBCWP No. 4638/2013 and other Writ Writ Petitions pending before Hon'ble Court (if any)"

उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

आदेश से


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(82) भर्ती/ गोपनीयता/2008-09/82 दिनांक 16.05.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव

**राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक: प. 1 (71) / एम.ई. / ग्रुप-1 / 1990

जयपुर, दिनांक: 19/7/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित अभ्यर्थियों को **सहायक आचार्य, शिशु औषध** के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू0 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ 14 (1) एफडी / रूल्स / 2013 पार्ट -दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिबीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० पंकज कुमार सिंघल पुत्र श्री रमेश कुमार सिंघल, पता-2-घ-3, दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा।	एम-24 A	26.10.1975	GEN	मेडिकल कॉलेज, कोटा।
2.	डॉ० पंकज कुमार जैन पुत्र श्री सौभाग मल जैन, पता-1.1, अशोक विहार एक्सटेंशन, गोपाल पुरा रोड़, जयपुर -302015	एम-25 B	18.09.1983	GEN	एस0एम0एस0, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
3.	डॉ० सुनिता खण्डेलवाल पुत्री श्री रामबाबू गुप्ता पता- 203-ए, तलवन्डी, कोटा-324005 राज0	एम-29 A	06.06.1982	BC	मेडिकल कॉलेज, कोटा।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता का परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति इस शर्त के अनुसार जारी किये जाते हैं :-

"These appointments are subject to the decisions of SBCWP No. 4638/2013 and other Writ Writ Petitions pending before Hon'ble Court (if any)"

उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

आदेश से

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(82) भर्ती / गोपनीयता / 2008-09 / 82 दिनांक 16.05.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव